


| तारीख हुक्म | हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>2019/00223  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामील में<br>जारी हुए |
|-------------|--|--|
| 18.11.2019  | <p>अपी. अभि० पन्नालाल मारु</p> <p>पत्रावली आज पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/3711/2019/प्रा.पत्र.मुन्तकिल/एलआर/राजसमन्द/(ता०नि० 19.07.2019) दिनांक 01.11.2019 के संलग्न प्राप्त प्रमाणित छाया प्रति प्रार्थना पत्र धारा 53 एलआर एक्ट संख्या 3711/2019 राजसमन्द बउनवान ईशाक मौहम्मद बनाम मधुसूदन व अन्य मे माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार इस अपील को जरिये मुन्तकिल आदेश पुनः संभागीय आयुक्त, उदयपुर को स्थान्तरित किया गया है।</p> <p>न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के प्रकरण संख्या 38/2018 बउनवान मधुसूदन व अन्य बनाम तहसीलदार रेलमगरा व अन्य को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्रांक 1038/2019/प्रा.प.मु०/राजसमन्द/दिनांक 10.06.2019 के द्वारा जरिये मुन्तकिल न्यायालय हाजा को स्थान्तरित किया गया था।</p> <p>अभिभाषक प्रत्यर्थागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा भी प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 19.07.2019 की पालना मे पुनः संभागीय आयुक्त, उदयपुर को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र धारा 53 एलआर एक्ट संख्या 3711/2019 राजसमन्द बउनवान ईशाक मौहम्मद बनाम मधुसूदन व अन्य मे माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 की पालना एवं प्रत्यर्था अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 21.10.2019 के अनुसरण मे यह प्रकरण पुनः न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को स्थान्तरित कर लौटाया जाता है। प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 17.02.2020 नियत है।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> <b>संभागीय आयुक्त</b><br/> <b>उदयपुर</b> </p> |  |

